न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 29/2022 तारीख रजू :– 30.05.2022

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1.	बाबूलाल पुत्र भौरया	जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन
2.	काडू पुत्र भौरया	
3.	मनोहरी पुत्र भौरया	
4.	रामसहाय पुत्र भौरया	जिला करौली———————— वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ——— प्रतिवादी

दावा करवाये जाने पत्थरगढी

उपस्थित :–1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिंनाक :– 22-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद पत्र पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी सं01 बाबूलाल 1/12 हिस्से का, वादी सं02 काडू 1/12 हिस्से का, वादी सं03 मनोहरी 1/12 हिस्से का तथा वादी सं04 रामसहाय का 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं और अपने हिस्से यानि 1/4 भाग पर काबिज चले आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण ने अपनी उक्त आराजीयात को मेहनत व धन खर्च करके उपजाऊ बनाया है। वादीगण की आराजीयात की दिनो दिन कीमत बढती चली आ रही है। इस कारण भूमि के पडौसी खातेदारान की नियत में बदयान्ति पैदा हो चुकी है, जो वादीगण के हिस्से की भूमि को लेकर मौके पर विवाद पैदा करते रहते हैं, जिससे हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि की सही नाप करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिससे कि हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो सके और वादीगण शान्तिपूर्वक तरीके से अपनी भूमि को काश्त करते रहें।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण ने कई बार तहसीलदार से वादीगण के हिस्से की भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढी करवाने के लिए निवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने वादीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादीगण ने तहसीलदार जी श्रीमहावीरजी के पास जाकर पत्थरगढी करवाने के लिए आग्रह किया, तो तहसीलदार ने दिनांक 29.04.2022 को स्पष्ट इंकार कर दिया और पत्थरगढी का दावा सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए कहा। इस कारण न्यायालय हाजा में पत्थरगढी करवाने हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 29.04.2022 को तहसीलदार द्वारा पत्थरगढी करने से इंकार करने के कारण बमुकाम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी में पैदा हुई है। अतः दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के वादीगण के 1/4 हिस्से की विधिवत पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करावें। जिससे हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 पेश की हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। इसलिए वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को फरमावें।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी काडू पुत्र भौरया हि01/12, गोपाल पुत्र गरीवा हि01/12, नरेश पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/60, बाबूलाल पुत्र भौरया हि01/12, मनोहरी पुत्र भौरया हि01/12,मोहन पुत्र सुखराम हि01/9, रतन पुत्र गरीवा हि01/12, रवि पुत्र रामप्रसाद हि01/60, रामसहाय पुत्र सुखराम हि01/9, रामसहाय पुत्र भौरया हि01/12, रिंकीवाई पुत्री रामप्रसाद हि01/60, लोकेश पुत्र रामप्रसाद हि01/60, सीताराम पुत्र गरीवा हि01/12, हरसहाय पुत्र सुखराम हि01/9, हरिओम पुत्र रामप्रसाद हि01/60 जातियान मीना सा0 झारेडा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के वादीगण हिस्सा 1/4 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा वादीगण उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी के हिस्सा 1/4 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर खसरा नम्बर 547 रकबा 0.09 है0, 548 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का मौके पर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाते समय मौके पर कानून व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु यदि तहसीलदार उचित समझे तो थानाधिकारी थाना श्रीमहावीरजी/सदर हिण्डौन से पर्याप्त पुलिस जाप्ता नियत तारीख पेशी को प्राप्त कर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए वादीगण को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें तथा वादीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार श्रीमहावीरजी के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमहावीरजी इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....22-8-22.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली